

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 192
(जिसका उत्तर सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज

192. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान वे प्रभावित नहीं हों, इसके लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं और उक्त पैकेज के तहत कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है और इस पैकेज से लाभान्वित होने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं कि वित्तीय सहायता समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के कमजोर/निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान सस्ती दरों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती रहें, सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ) : सरकार ने कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में सहायता के लिए गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रु. की राहत प्रदान करने की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, नकद अंतरण के मामले में तथा अय मामलों में उचित सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त, आर्थिक मामलों के सचिव तथा मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में गठित, अर्थव्यवस्था और कल्याण पर अधिकार प्राप्त समूह इस पैकेज के कार्यान्वयन की देख-रेख करता है। पैकेज के विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध-I पर है। लाभार्थियों का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण तथा वितरित राशि अनुबंध-II (क) तथा II (ख) पर दी गई है।

(ङ) कुल 68.820 करोड़ रु. 7.9.2020 तक पीएमजीकेपी के विभिन्न घटकों के तहत पात्र व्यक्तियों को नकद अंतरण के रूप में दिये गए हैं। अब तक एनएफएसए के तहत करीब 75 करोड़ करोड़ लाभार्थियों को 178.85 लाख एमटी अनाज तथा 6.82 लाख एमटी दालें निःशुल्क वितरित की गई हैं तथा यह योजना नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। सरकार, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों के अनुसार, गरीब तथा कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़

व्यक्तियों) को लगभग 10.74 करोड़ रु. दूसरी तथा तृतीयक श्रेणी की चिकित्सीय देखभाल हेतु 5 लाख रु. प्रति परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) लागू कर रही है। कोविड-19 की जांच तथा उपचार हेतु एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों को प्रभावी रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए "कोविड-19 का परीक्षण" तथा " कोविड-19 का उपचार" पैकेज अधिसूचित किए गए हैं। भारत रिजर्व बैंक ने भी सभी टर्म लोन पुनर्भुगतानों जैसे ऑटो, होम पर्सनल लोन ईएमआई इत्यादि पर 1 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक तीन माह के ईएमआई अवकाश की घोषणा की थी, जिसे आगे 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, आत्मनिर्भर पैकेज, जिसकी घोषणा 14.05.2020 को की गई थी, के अंतर्गत 2 माह के लिए प्रवासियों हेतु निःशुल्क खाद्य अनाज आपूर्ति की सुविधा भी बढ़ा दी गई थी।

दिनांक 14.09.2020 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (क) से (घ) तक की उत्तर से संदर्भित विवरण।

पीएमजीकेवाई का ब्यौरा

1. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना।

लगभग 22.21 लाख लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपये की व्यापक दुर्घटना कवर प्रदान करने हेतु दिनांक 30.03.2020 से कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक बीमा योजना शुरू की गई थी जिसमें वह सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मियों जिन्हें कोविड-19 के मरीजों सीधे संपर्क तथा देखरेख में रहना पड़ा और जो इससे प्रभावित होने से खतरे में पड़ सकते हैं शामिल हैं। प्रारंभ में यह योजना दिनांक 30.03.2020 से 90 दिनों के लिए थी और अब इसे अगले 90 दिनों तक बढ़ाया गया है, अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण निजी अस्पताल स्टाफ/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा/दैनिक मजदूरी/तदर्थ/राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आईआईएमएस एवं आईएनआई के स्वायत्त अस्पतालों, केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों को कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये मामले भी योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

II. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

इस योजना के अंतर्गत तीन माह अर्थात् अप्रैल से जून, 2020 तक की अवधि के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता गृहस्थी) के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रतिव्यक्ति प्रति माह के दर से @ 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन निःशुल्क प्रदान किया गया जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत आने वाले लोग भी शामिल हैं। लगभग 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 119.32 एलएमटी की खाद्यान्न आवंटित किया गया था जिसमें 46,061 करोड़ रुपये की वित्तीय निहितार्थ शामिल है। लगभग 81.09 करोड़ लाभार्थियों के लिए 2020.749 एलएमटी खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन सहित इस योजना को नवम्बर 2020 (5 माह) तक बढ़ाया गया है। जिसमें 76062.11 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी शामिल है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्राथमिकता के अनुसार 3 महीने के लिए प्रति परिवार को @1 किलोग्राम दलहन नि.शुल्क प्रदान किया गया था। इस योजना को नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है।

III. किसानों को लाभ:

वर्ष 2020-21 में बकाया 2000 रुपये की पहली किस्त को फ्रंटलोड किया गया था और अप्रैल, 2020 में पीएम किसान योजना के अंतर्गत उसका भुगतान किया गया। जिसमें 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

iv. नकद अंतरण

- क. गरीबों का सहायता: कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को अगले तीन महीने के लिए प्रतिमाह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई।
- ख. गैस सिलेण्डर: दिनांक 01.04.2020 से 13,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित पीएमजीकेपी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने के लिए निशुल्क एलपीजी सिलेण्डर प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई थी। सिलेण्डर खरीदने के लिए नकद अग्रिम लाभार्थियों के

बैंक खाते में अंतरित किया गया था। इस योजना को 30 सितंबर, 2020 तक उन लाभार्थियों के लिए बढ़ा दी गई है जिन्हें खाली सिलेण्डर भरने के लिए अग्रिम राशि दी गई है; परंतु 30.06.2020 तक निःशुल्क सिलेण्डर खरीद नहीं पाए हैं। दिनांक 06.09.2020 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ओएमसी ने पीएमयूवाई लाभार्थियों को 1321.59 लाख रिफिल वितरित किए हैं।

ग. संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वालों को सहायता:

100 से कम कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रतिमाह 15000 से कम कमाने वाले, वेतन पाने वाले को उनके रोजगार में व्यवधान को कम करने के लिए अगले तीन माह के लिए उनके भविष्य निधि खाते में मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत प्रदान किया गया है। इस योजना को अगले तीन महीने अर्थात् अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है।

घ. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) , विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को सहायता: लगभग 3 करोड़ वृद्धि विधवाओं तथा दिव्यांग श्रेणी के लोगों को तीन महीने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्रदान किया गया।

v. मनरेगा

1 अप्रैल, 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस मजदूरी वृद्धि से यह अनुमान किया गया था इससे एक कर्मचारी को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।

v. स्वयं सहायता समूह:

63 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला संगठित के लिए सहायता निःशुल्क ऋण की सीमा 10 से 20 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को मदद मिली।

vi. पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक:

क. संगठित क्षेत्र: वैश्विक महामारी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन किया गया ताकि उनके खाते से राशि की 75 प्रतिशत गैर-वापसी अग्रिम अथवा 3 महीने का वेतन जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी जा सके। ईपीएफ के तहत पंजीकृत 4 करोड़ श्रमिकों के परिवार इस विंडो का लाभ उठा सकते हैं।

ख. भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारी कल्याण निधि: केंद्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि बनाया गया है। इस निधि में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत कर्मचारी हैं। राज्य सरकारों को आर्थिक अवरोध से बचने के लिए इन कर्मचारियों की सहायता तथा समर्थन के लिए इस निधि का उपयोग हेतु निदेश दिया गया था।

ग. जिला खनिज निधि: राज्य सरकारों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के साथ-साथ इस वैश्विक महामारी से प्रभावित मरीजों की ईलाज से संबंधित चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग तथा अन्य आवश्यकताओं के पूरक और संबंधित सुविधाओं के लिए जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के तहत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

14.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारंकित प्रश्न नं. 192 के भाग का (क) से (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

		कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2017)	लाभार्थियों को खाद्यान्न का कुल वितरण (मीट्रिक में) अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	दलहन- एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (मीट्रिक टन में) द्वारा वितरित दलहन की मात्रा- अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	सौंपे गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई अप्रैल '20	सौंपे गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई मई '20	सौंपे गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई जून '20	
सं.	राज्य	दावा खारिज कर दिया	भुगतान की गई राशि	कुल (एएवाई एण्ड पीएचएच)						
1.	अंडमान एवं निकोबार दीव समूह			0.61	1342	0.16	49.05	9,591	7,294	4,533
2.	आन्ध्र प्रदेश	3	1500000	268.23	635928.54	90.28	45018.62	2,72,179	2,15,405	1,74,373
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	500000	8.21	17215.42	1.77	571.561	28,831	24,731	16,600
4.	असम	2	1000000	251.53	506098.035	57.96	19614.09	14,44,011	15,34,863	10,39,012
5.	बिहार	1	500000	857.12	1727839.033	168.85	54228.87	49,67,319	45,10,211	39,49,870
6.	चंडीगढ़			2.75	3793.04	0.64	228.43	93	95	77

7.	छत्तीसगढ़			200.77	506390.755	51.5	22616.74	11,92,348	9,16,589	7,32,245
8.	दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव			1.73- D & NH- KIND 0.36 – D& NH- CASH DAMAN & DIU- 0.76	6312.902	0.65	391.44	8,137	5,029	3,871
9.	दिल्ली	1	500000	72.73	166963.0656	17.54	6033.64	77,853	70,885	62,986
10.	गोवा			5.32	13011.507	1.43	644.103	806	519	569
11.	गुजरात	8	4000000	382.54	801111.37	65.63	20090.95	15,38,689	12,28,084	12,18,267
12.	हरियाणा			126.49	285128.669	27	10916	5,53,359	5,40,807	3,86,756
13.	हिमाचल प्रदेश			28.64	63592.905	6.84	3276.5	1,11,235	1,07,648	77,815
14.	जम्मू एवं कश्मीर			72.05	169195.6	16.45	8984.09	6,22,988	7,01,755	3,85,158
15.	झारखंड			263.70	515408.688	57.12	24040.22	15,87,777	13,94,718	10,88,969
16.	कर्नाटक	3	1500000	401.93	977417.15	127.23	38168.19	18,66,059	15,00,307	13,86,662
17.	केरल	3	1500000	154.80	366701.602	37.38	12609.49	1,77,104	1,39,817	1,24,475
18.	लद्दाख			1.44	2505	0.29	87.65	7,561	5,662	4,817
19.	लक्ष्यदीप			0.22	453.12	0.05156	20.18	172	115	104
20.	मध्य प्रदेश	1	500000	546.42	1062037.658	116.85	42791.4	30,77,273	27,68,146	24,12,767
21.	महाराष्ट्र	12	6000000	700.17	1535041.139	167.05	40024.13	22,62,807	23,13,521	21,96,232
22.	मणिपुर			24.57	61346.86	5.88	2131.416	68,061	89,769	84,433
23.	मेघालय			21.46	51401	4.22	1722.802	43,323	57,410	39,297
24.	मिजोरम			6.68	15351.881	1.55	807.261	24,281	15,138	17,885
25.	नागालैंड			14.05	33585.086	2.85	1660.849	21,397	30,801	20,408
26.	उड़ीसा			323.60	748141.347	92.85	40335.4	26,58,543	23,17,299	19,04,076
27.	पुद्दुचेरी			6.28	9142.06	1.79	535.5	11,075	10,845	8,118
28.	पंजाब	1	500000	141.45	199011.3	35.96	10643.24	8,93,383	8,59,735	7,03,453
29.	राजस्थान			446.62	1159894.144	111.85	36331.41	34,68,116	27,98,019	24,29,451
30.	सिक्किम			3.79	6852.625	0.94	317.964	8,311	8,499	6,376
31.	तमिलनाडू	2	1000000	357.34	829049.154	111.08	33323.76	21,47,315	16,80,938	14,47,941
32.	तेलंगाना	2	1000000	191.62	481824.113	53.29	14144.38	6,05,719	4,96,386	3,54,565
33.	त्रिपुरा			24.83	62051.427	9.2	1942.245	1,33,412	1,16,650	1,16,781
34.	उत्तर प्रदेश	5	2500000	1520.59	3498398.415	352.45	139634.3	93,87,841	81,09,525	72,48,732
35.	उत्तराखंड			61.96	145939.01	13.46	5544.27	2,74,286	2,35,709	2,12,070
36.	पश्चिम बंगाल	1	500000	601.84	1219345.34	145.29	42058	57,51,508	51,34,833	47,49,938
	कुल	50	25,000,000	8095.19	17884820.96	1,955	681538.2	4,53,02,763	3,99,47,757	3,46,09,682

14.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न नं.192 के भाग का (क) से (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण																				अनुबंध-II (ख)			
सं.	राज्य	पीएम किसान		पीएमजोडीवाई				राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी		इमारत एवं निर्माण निधि वीओसीडब्ल्यू			ईपीएफओ आहरण		ईपीएफ योगदान 24 प्रतिशत						डीएमएफ कोविड-19 से संबंधित गतिविधियाँ पर व्यय राशि (करोड़ में)		
		लाभार्थियों की सं.	राशि (लाख रु. में)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (अप्रैल)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (मई)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (जून)	अप्रैल से जून तक कुल हस्तांतरित राशि	कुल लाभार्थियों की सं. अप्रैल और मई	500 रु. की दी गई राशि (लाख में, अप्रैल और मई)	पहचाने गए लाभार्थी (पहली किस्त)	पहचाने गए लाभार्थी (दूसरी किस्त)	कुल राशि (लाख में)	लाभार्थी	राशि (लाख में)	लाभार्थी (मार्च)	लाभार्थी (अप्रैल)	लाभार्थी (मई)	लाभार्थी (जून)	लाभार्थी जुलाई	लाभार्थी (अगस्त)		कुल अंतरित राशि लाख में मार्च से अगस्त	
1.	अंडमान एवं निकोबार दीव समूह	10677	213.54	23064	29457	29449	409.85	5928	59.28	11014	5375	491.67	484	161.77281	1841	1749	1643	1488	913	90	159.97	-	
2.	आन्ध्र प्रदेश	4695820	93916.4	6013565	7191392	7190292	101976.245	932661	9326.61	1967484	0	19674.84	108567	30485.43907	153900	158283	151372	146792	133535	7318	11325.18	100.43	
3.	अरुणाचल प्रदेश	66323	1326.46	180119	187968	187968	2779.875	34139	341.39	3000	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4.	असम	1861715	37234.3	9534385	9649421	9648441	144161.235	840984	8409.84	270000	0	2700	11203	2777.23109	7160	7499	7370	6763	5619	477	510.57	0.65	
5.	बिहार	5899824	117996.48	23315732	24380254	24372302	360341.44	3664811	36648.11	0	0	40567	7602.82911	52951	54805	53798	51197	44947	2333	3993.25	0	0	
6.	चंडीगढ़	429	8.58	110537	111245	111152	1664.67	3415	341.5	6670	0	400.2	39886	8632.31454	23322	20897	22073	21409	20084	1182	1892.67	-	
7.	छत्तीसगढ़	2167441	43348.82	7857012	8062757	8062722	119912.455	852275	85227.5	0	0	0	46119	8660.04503	76268	78444	75723	72665	68033	3206	5995.94	4.36	
8.	दादरा एवं नागर हवेली	10150	203	52817	53691	53681	800.945	9588	95.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
9.	दमन एवं दीव	3381	67.62	17387	17475	17473	261.675	1376	137.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
10.	दिल्ली	12075	241.5	2030271	2036383	2036535	30515.945	156436	1564.36	39600	39600	3960	295243	73596.16266	39830	36793	36868	34673	30943	1233	3530.06	-	
11.	गोवा	7854	157.08	69987	70389	70365	1053.705	2061	206.1	0	0	307.02	12169	3107.29107	17876	15988	15259	14491	381	1318.55	22	-	
12.	गुजरात	4685062	93701.24	7108005	7266513	7265305	108199.115	688953	68895.3	483196	0	4831.96	185208	37273.44252	243172	251261	244516	242384	230145	22558	18731.51	13.08	
13.	हरियाणा	1514497	30289.94	3416299	3566923	356759.62	327269	3272.69	350621	0	17531.05	209604	53039.97756	76918	64925	70265	67210	63189	2943	5957.47	0	-	
14.	हिमाचल प्रदेश	870609	17412.18	584184	667491	667262	9594.685	111863	1118.63	120265	126039	4926.08	17216	3507.58231	43424	41484	42402	42550	40546	1477	3308.08	0.43	
15.	जम्मू एण्ड काश्मीर	920451	18409.02	1049256	1064015	1062263	15877.67	143289	1432.89	155975	0	4679.25	187	17.82763	23836	21959	21844	21586	19224	2594	1742.92	-	
			0					(लक्षांश को सम्मिलित करते हुए)						0								0.00	-
16.	झारखंड	1231912	24638.24	7227042	7440551	7437612	110526.025	128850	12888.5	0	0	29000	5142.64934	87786	86091	83575	83130	78118	4699	7158.94	9.66	-	
17.	कर्नाटक	4839093	96781.86	7987088	8035479	8033726	120281.465	1398410	13984.1	1362438	0	68121.9	452484	153845.1508	281634	273165	265267	257403	232202	12724	24206.08	62.13	
18.	केरल	2716844	54336.88	2413289	2607463	2606513	38136.325	688329	6883.29	454124	0	4541.24	101119	31103.7267	110118	91211	99799	104292	98891	1920	8671.58	0	
19.	लद्दाख	0	0	9951	10027	10392	151.85					0	16	1.75331	177	143	146	114	105	0	17.89	-	
20.	लक्ष्मीदीप	0	0	2867	2922	2920	43.545	324	3.24	520	0	32.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
21.	मध्य प्रदेश	6812020	136240.4	16622091	16786519	16783417	250960.135	2205963	22059.63	891850	0	17837	90993	18149.30407	158162	144857	134320	135658	129638	7365	10511.56	5.1	
22.	महाराष्ट्र	8632718	172654.36	12947062	13152844	13151473	196256.895	1168385	11683.85	894408	0	17888.16	667817	187350.5145	418770	404866	380529	372293	346133	16493	31148.58	45.86	
23.	मणिपुर	283457	5669.14	504169	523814	523622	7758.025	61972	6197.2	52605	0	526.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
24.	मेघालय	115638	2312.76	268908	318894	318797	4532.995	54127	5412.7	24730	0	1236.5	0	50025	54058	52551	49333	45249	5711	3315.59	-	-	
25.	मिजोरम	69425	1388.5	58176	153791	153756	1828.615	27538	2753.8	51451	0	5145.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
26.	नागालैंड	181008	3620.16	157792	167255	167204	2461.255	49210	4921.0	19046	0	380.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
27.	उड़ीसा	2003185	40063.7	8121020	8520484	8518976	125802.4	2027022	20270.22	2083288	0	31249.32	40666	8771.32209	129713	133169	132889	130113	120833	6775	9822.89	61.34	
28.	पुद्दुचेरी	9715	194.3	83926	88559	88506	1304.955	28757	2875.7	0	0	0	0	0	16110	13895	14074	14095	13358	632	950.29	-	
29.	पंजाब	1752498	35049.96	3322186	3375108	3373363	50353.285	140404	14040.4	289237	0	17354.22	49472	9665.65577	66008	55952	63477	60461	55427	5106	4779.19	0.65	
30.	राजस्थान	5164391	103287.82	15613962	15849421	15845503	236544.43	987781	9877.81	2230000	0	55750	83903	15761.46431	120047	113479	111154	108908	101109	6315	7649.36	15.08	
31.	सिक्किम	0	0	42552	43915	43908	651.875	18332	183.32	7836	0	156.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
32.	तेलंगाना	3559533	71190.66	6075989	6138375	6136949	91756.565	1814700	18147.0	1370601	0	27412.02	583161	158265.1997	507424	458395	476308	471998	442011	23263	32325.05	13.42	
33.	तेलंगाना	3331468	66629.36	5268000	5154930	5153020	77843.75	665956	6659.56	830324	0	12454.86	241181	77656.90355	156113	156685	152357	148451	136995	6883	10159.07	0	
34.	त्रिपुरा	190441	3808.82	431770	444368	443170	6602.27	138473	1384.73	39082	0	1172.46	1137	285.8338	0	0	0	0	0	0	0.00	-	
35.	उत्तर प्रदेश	17675849	353516.98	31813530	32440630	32431427	483427.935	5257390	52573.9	1821250	1695490	35170.1	164511	33390.63687	190548	188671	189660	187867	177736	12618	14786.99	0.22	
36.	उत्तराखंड	674688	13493.76	1267372	1335177	1335873	19692.11	215109	21510.9	228423	0	22842.3	228423	4568.46	46150	7975.9936	36608	36725	36632	34787	1794	2958.71	0.02
37.	पश्चिम बंगाल	0	0	18995377	19349032	19341332	288428.705	2132959	213295.9	2198349	0	21983.49	86684	18083.46987	329406	321645	332165	337058	317556	18739	20675.05	-	
	कुल	89454616	1789092.32	206500000	206296711	206244658	3095206.845	28145039	281450.39	18262774	2094927	378941.78	3604747	954311.4937	3419971	3286977	3268129	3221014	3001118	176829	247602.98	354.42	